Liberty and equality [illegible]

Rights
Liberty and equality are the founding principles of Political Science.

अधिकार वह सुविधाएं हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकता है। किसी समाज की उन्नति का मापदंड उस समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को समझा जाता है।

अधिकारों के स्वरूप और विकास के संबंध में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं —

(1) प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत (Theory of Natural Rights) — प्रकृति ने ही मनुष्य को अधिकार प्रदान किए हैं और यह मानव स्वभाव (human nature) के आवश्यक अंग हैं। इन्हें हमें स्वयंसिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लॉक ने अधिकारों के विषय में लिखा है कि समाज के संगठन के पूर्व जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था तब भी वह प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करता था। लॉक is the first liberal theorist who accepted the concept of natural rights. Man has 3 natural rights — "rt to life, liberty and property".

Thomas Paine ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है। रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किन्तु सभ्यता और समाज उसे ज़ंजीरों में जकड़ देता है। "Man is born free, but everywhere he is in chains." आर्थिक क्षेत्र में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन Adam Smith, David Ricardo तथा अर्थशास्त्र के अन्य व्यक्तिवादी विचारकों ने किया है। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत उदारवादी राजनीतिक परंपरा का अभिन्न अंग रहा है।

प्राकृतिक शब्द के अर्थ में स्पष्टता ना होने के कारण प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के समर्थकों में भी मतभेद पाए जाते हैं। कुछ अरस्तू दास प्रथा को प्राकृतिक कहते हैं और कई अन्य विचारक इसी दास प्रथा को अप्राकृतिक बताकर उसकी आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर यदि किसी लेखक की प्राकृतिक अधिकारों की ~~सूचि~~ सूची पर विचार किया जाए तो उसमें असंगति पाई ~~जाए~~ जाएगी। जैसे - अगर समाज में समानता लाने का प्रयत्न किया जाए तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाएगा। इस सिद्धांत का यह भी दोष है कि इसके अनुसार समाज और उसके संगठनों को अधिकारों

Scanned with CamScanner

का विरोधी समझा जाता है। रूसो का विचार था कि मनुष्य अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में तो स्वतंत्र था परंतु समाज की स्थापना से उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता नष्ट हो गई। अब व्यक्ति ने अपने अधिकारों की प्राप्ति राजनीतिक समाज में रहकर ही की है और उनकी सुरक्षा भी समाज में रहकर कानून के द्वारा ही हो सकती है।

(2) अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत - (Legal Theory of Rights) - इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति वैधानिक व्यवस्था से हुई है। राज्य कानून व्यवस्था की स्थापना कर के अधिकारों की सृष्टि करता है तथा न्यायालय इन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। मनुष्य को प्रकृति से कोई अधिकार नहीं मिलते। अधिकारों की परिभाषा संविधान और कानूनों के द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार असीमित नहीं होते बल्कि परिस्थितियों के अनुसार उनकी सीमा निर्धारित की जाती है। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार नागरिक उसी सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं जिस सीमा तक किसी राज्य के कानून ने उसे स्वीकार किया है। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार की कल्पना मात्र समझता है। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना

Scanned with CamScanner

निरी सूक्ष्मतापूर्ण सिद्धांत है। बोदां, ह्यूम, कैंपम और आस्टिन वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं।
इसकी आलोचना स्पेंसर ने की यह दर्शाने की है कि कानून केवल अधिकारों का संरक्षण करता है, उनका सृजन नहीं करता। राज्य अधिकारों की रचना नहीं करता। अधिकारों का वास्तविक आधार जनमत और लोगों के नैतिक विचारों में खोजना चाहिए। लास्की के अनुसार अधिकारों का पालन स्वभाव और परम्परा पर निर्भर है ना कि कानून की लिखित धारा पर।

(3) अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत — इस सिद्धांत (Historical Theory of Rights) के अनुसार अधिकारों का धीरे-धीरे विकास हुआ है। अधिकारों का स्रोत हमें किसी देश की ऐतिहासिक परम्पराओं में देखना चाहिए। ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिवर्तन से अधिकारों के चरित्र में भी परिवर्तन हो जाता है। प्राचीन यूनान के नगरराज्यों और रोमन साम्राज्य में दास रखना स्वतंत्र नागरिक का अधिकार समझा जाता था क्योंकि वहाँ की परम्परा इस अधिकार को स्वीकार करती थी परंतु वर्तमान काल में दास रखने की परंपरा समाप्त हो गई है क्योंकि अभी की परिस्थितियाँ प्राचीन रोमन साम्राज्य से भिन्न हैं।

Scanned with CamScanner

इसी प्रकार पूंजीवादी युग में असीमित संपति का अर्जन और उसके द्वारा दूसरे मनुष्यों के श्रम का शोषण सम्पन्न नागरिक का अधिकार था। वहीं समाजवादी देशों में इतिहास के इस चरण से आगे बढ़ जाने पर व्यक्तिगत संपति को अधिकार नहीं माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार चिरस्थाई नहीं हैं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं।

36)3175(1104
36
×37
36
×150

(4) अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत (Liberal Theory of Rights)

इस सिद्धांत का प्रतिपादन उपयोगितावादी विचारक बेंथम और John Stuart Mill ने किया था। इनका कथन है कि समाज में केवल वह अधिकार मान्य हो सकते हैं जो उस समाज के बहुसंख्यक सदस्यों के लिए लाभकर और उपयोगी हों। अधिकारों का उद्देश्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति करना नहीं है बल्कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाना है (maximum happiness to maximum number of people). उनके अनुसार उपयोगिता ही अधिकारों के निर्णय की कसौटी है। लास्की के अनुसार भी लोककल्याण ही अधिकारों का आधार है।

अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत का समर्थन टी. एच. ग्रीन जैसे आदर्शवादी विचारक भी करते हैं। उनके अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए

नैतिक उन्नति की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। हीगल के अनुसार व्यक्ति की उन्नति राज्य की उन्नति में शामिल है। इसीलिए व्यक्ति राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। परंतु Immanuel Kant and Thomas Green इस विचार से सहमत नहीं हैं।

T.H. Green के अनुसार अधिकार उन परिस्थितियों को कहते हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आदर्श के अनुकूल अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं अवसरों और सुविधाओं को अधिकार कहते हैं।

आदर्शवादियों के अनुसार अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों का नैतिक विकास है इसीलिए वह अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर भी ज़ोर देते हैं।

वैधानिक सिद्धांत को ग्रीन अपूर्ण मानते हैं। यह सिद्धांत केवल ऐसे अधिकारों की चर्चा करता है जिन्हें राज्य और कानून द्वारा स्वीकार किया गया हो परंतु आदर्शवादी नए अधिकारों की भी माँग करते हैं जिन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है और जिनपर भविष्य में नागरिकों की नैतिक प्रगति निर्भर है।

Scanned with CamScanner